

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई) द्वितीय एसीपी 92स्पे./अलेसे-III/

दिनांक :- 01-7-2013

आदेश संख्या 136/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ.11 (7) वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे बैंड-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट संख्या/ बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
	बैंच 92स्पेशल				
1	कमल सिंह	2/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
2	प्रेम चन्द्र बंशीवाल	6/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
3	भगवती लाल निमावत	13/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
4	खेमचन्द	15/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
5	दिनेश कुमार उदय	29/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
6	गिरिराज प्रसाद बैरवा	33/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
7	राजेन्द्र सिंह	34/92स्पे.	30.03.1995	30.03.2013	
8	हाकिम सिंह	41/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
9	ठण्डी राम जाटव	45/92स्पे.	02.05.1995	02.05.2013	
10	हेमराज गोरा	58/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
11	उमाशंकर	65/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
12	देवेन्द्र कुमार	66/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
13	भगवन्त सिंह	67/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
14	जगदीश प्रसाद रैगर	75/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
15	रामजीवन	82/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
16	बृजमोहन वर्मा	100/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
17	भगवान सहाय वर्मा	104/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
18	गोविन्द लाल	107/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
19	रमेश चन्द्र	108/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
20	साधुराम वर्मा	124/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
21	गजानंद असवाल	125/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
22	अशोक कुमार बुनकर	132/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
23	मीठालाल चौहान	136/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
24	श्रवण लाल रैगर	139/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
25	रामस्वरूप बैरवा	141/92स्पे.	23.01.1995	23.01.2013	
26	पूरण मल वर्मा	आर-3/92स्पे.	20.05.1995	20.05.2013	

लगातार

बैच 92 सामान्य					
27	बृजेश त्रिवेदी	27 / 92	06.03.1995	06.03.2013	
28	ओमप्रकाश शर्मा	166 / 92	08.05.1995	08.05.2013	
29	मुकेश कुमार शर्मा	227 / 92	02.03.1995	02.03.2013	
30	पदमाराम जाट	303 / 92	06.03.1995	06.03.2013	
31	राजन लाल गुप्ता	327 / 92	09.03.1995	09.03.2013	
32	कुमोद कुमार अग्रवाल	363 / 92	22.03.1995	22.03.2013	
33	जयकिशन बैरवा	412 / 92	21.03.1995	21.03.2013	
34	विनोद कुमार	474 / 92	13.03.1995	13.03.2013	
35	संजय कुमार सर्वा	डीजीएस / 92	22.03.1995	22.03.2013	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14 (88) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 2, 3, 5, 6, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एवं 34 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई) द्वितीय एसीपी 92स्पे./अलेसे-III / 7326-7400 दिनांक :- 01-7-2013

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक, महोदया।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उप निदेशक (एसीपी) / निजी / गार्ड फाईल।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)